भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1416

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षण शुल्क का विनियमन

1416. **श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर के विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षण शुल्क में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा शुल्क में वृद्धि का राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों में शुल्क निर्धारण और वृद्धि को नियंत्रित/नियमित करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं या कोई नियामक तंत्र स्थापित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): निजी विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधायिकाओं के अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं और निजी विश्वविद्यालयों में शुल्क संबंधी निर्णय या तो राज्य सरकार/राज्य शुल्क विनियामक समिति अथवा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उनके अधिनियमों तथा संविधियों के प्रावधानों के अनुसार लिए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (निजी गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश और शुल्क का विनियम) विनियम, 1997 अधिसूचित किए हैं, जिनमें शुल्क निर्धारण के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

*****